

# विक्रय पूर्व सूचना पत्र



Ref. No. : 5800432 Pre.

Date: 19-Apr-23

बनाम:- BORROWER



NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM  
KHOJAS JHUNJHUNU RAJASTHAN Nawal KHOJAS RURAL  
Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304

98

बनाम:- Borrower :- **NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM**  
**KHOJAS JHUNJHUNU RAJASTHAN Nawal KHOJAS RURAL**  
**Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304**

Co-Borrower-1 : SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR  
KHOJAS, WARD NO 13 KHOJAS BARWA JHUNJHUNU Nawal  
KHOJAS RURAL Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304

Co-Borrower-2 : NIL

GTR - 1 : SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD  
WARD NO. 5, TARPURA  
TARPURA Sikar Sikar Rajasthan 332024

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवम आप कंमाक संख्या 3 SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत क्रम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5800432 दिनांक 01-Oct-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 315000/-रुपयें की ऋण राशि अपने वाहन DI 35 Sonalika FARM EQP जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18RB4892 इंजन नम्बर 3100FL53J523801F3 एवं चेसिस नम्बर KZJSU528812SM है, पर प्राप्त की गयी है। यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तानुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 12801/- रुपये की 36 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगे एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तानुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बावजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार किस्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगे व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगे तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार/स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया। इस कारण आपका खाता अनुबन्ध की शर्तानुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 328020/- रुपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्मे की बकाया फोर क्लोजर राशि 328020/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्च सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

# विक्रय पूर्व सूचना पत्र



Ref. No. : 5800432 Pre.

Date: 19-Apr-23

बनाम:- CO-BORROWER

99



SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR

KHOJAS, WARD NO 13 KHOJAS BARWA JHUNJHUNU Nawal

KHOJAS RURAL Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304

बनाम:- Borrower :- **NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM**  
**KHOJAS JHUNJHUNU RAJASTHAN Nawal KHOJAS RURAL**  
**Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304**

Co-Borrower-1 : SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR  
KHOJAS, WARD NO 13 KHOJAS BARWA JHUNJHUNU Nawal  
KHOJAS RURAL Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304

Co-Borrower-2 : NIL

GTR - 1 : SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD  
WARD NO. 5, TARPURA  
TARPURA Sikar Sikar Rajasthan 332024

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवम आप कंमाक संख्या 3 SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत क्रम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5800432 दिनांक 01-Oct-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 315000/-रुपयें की ऋण राशि अपने वाहन DI 35 Sonalika FARM EQP जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18RB4892 इंजन नम्बर 3100FL53J523801F3 एवं चेसिस नम्बर KZJSU528812SM है, पर प्राप्त की गयी है। यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तानुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 12801/- रुपये की 36 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगे एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तानुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बावजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार किस्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगे व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगे तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार/स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया। इस कारण आपका खाता अनुबन्ध की शर्तानुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 328020/- रुपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्मे की बकाया फोर क्लोजर राशि 328020/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्च सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

# विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Ref. No. : 5800432 Pre.



Date: 19-Apr-23

बनाम:- GTR

100



SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD

WARD NO. 5, TARPURA TARPURA Sikar Sikar Rajasthan 332024

बनाम:- **Borrower :- NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM**  
**KHOJAS JHUNJHUNU RAJASTHAN Nawal KHOJAS RURAL**  
**Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304**

Co-Borrower-1 : SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR  
KHOJAS, WARD NO 13 KHOJAS BARWA JHUNJHUNU Nawal  
KHOJAS RURAL Nawalgarh Nawalgarh Rajasthan 333304

Co-Borrower-2 : NIL

GTR - 1 : SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD  
WARD NO. 5, TARPURA  
TARPURA Sikar Sikar Rajasthan 332024

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 NIRMAL KUMAR C/O NARAYAN RAM बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SAVITRI DEVI C/O NIRMAL KUMAR, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवम आप कंमाक संख्या 3 SURENDRA KUMAR BHEBANIA C/O JADISH PRASAD गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत क्रम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5800432 दिनांक 01-Oct-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 315000/-रुपयें की ऋण राशि अपने वाहन DI 35 Sonalika FARM EQP जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18RB4892 इंजन नम्बर 3100FL53J523801F3 एवं चेसिस नम्बर KZJSU528812SM है, पर प्राप्त की गयी है। यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तानुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 12801/- रुपये की 36 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगे एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तानुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बावजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार किस्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगे व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगे तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार/स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया। इस कारण आपका खाता अनुबन्ध की शर्तानुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 328020/- रुपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्मे की बकाया फोर क्लोजर राशि 328020/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्च सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)